कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / माध्य / अ–4 / क्रमोन्नति / राउमावि / 21307 / 2020–21 दिनांक :– 18/8/2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक
पाली / सीकर।

विषयः 04 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः शासन का पत्रांक– प0 4(6) शिक्षा–1 / 2019, जयपुर, दिनांक 11.08.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में बजट घोषणा 2019–20 के बिन्दु संख्या 127.03 की अनुपालना में निम्नांकित 04 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	जिला	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	यू–डाईस कोड	विद्यालय का नाम
1	पाली	अटबड़ा	सोजत	08200306102	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय अटबड़ा
2	पाली	करमावास पट्टा	सोजत	08200309503	श्री आईमाता राजकीय माध्यमिक विद्यालय दोरनडी
3	सीकर	गोकुलपुरा	पिपराली	08130502607	राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा
4	सीकर	गुंगारा	पिपराली	08130504002	राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्वामी की ढ़ाणी–रामनगर

वित्त विभाग(व्यय–1) की आई.डी. संख्या 131900208 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में अग्रांकित शर्ताधीन उक्त स्वीकृति जारी की जाती है:–

शर्तेः–

1. विद्यालय क्रमोनयन सत्र 2020–21 से प्रारंभ होंगे ।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. इन विद्यालयों में कला संकाय स्वीकृत किया जाता है। कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर किया जायेगा । इसके लिये सम्बन्धित जि0शि0अ0(मुख्यालय)–माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमोन्नत विद्यालय से कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी.–Secondarydd2@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि तदनुसार कला संकाय के 3 ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।
4. स्टाफिंग पैर्टन के बिन्दु सं. 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयो में नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती / पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी ।
6. **विद्यालय के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू–डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें ।**

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. संयुक्त सचिव(जीबी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में ।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, पाली/चूरू।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, पाली/सीकर।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, सोजत (पाली)/पिपराली (सीकर)।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन–एबी/संस्थापन–एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ–1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर